# मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

## सर्व–साधारण हेतु अत्यावश्क सूचना

दिनांक 14.10.2015

आयोग व्दारा निम्नलिखित तीन प्रणालियों व्दारा चयन किया जाता है :–

1. त्रि–स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार।
2. द्वि–स्तरीय बहुविकल्पिय लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार।
3. केवल साक्षात्कार व्दारा।

2/ लिखित परीक्षा आयोजन के लिये परीक्षा प्रश्न पत्रों का निर्धारण गोपनीय तरीके से किया जाता है। प्रश्न पत्रों में शामिल प्रश्नों की जानकारी परीक्षा नियंत्रक तक को भी नहीं होती है। प्रश्न पत्रों के मॉडरेशन के बाद बंद लिफाफे में रखे जाते है। बंद लिफाफा संबधित प्रिटिंग प्रेस व्दारा ही खोला जाता है ।

3/ लिखित परीक्षाएँ जिला मुख्यालय/संभागीय पर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर होती है । परीक्षा आयोजन कराने के लिये मानक प्रकिया निर्धारित है। जिला/संभागीय स्तर पर यह परीक्षा कलेक्टर/आयुक्त के नियत्रंण में सम्पन्न होती है ।

4/ बहुविकल्पिय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा की ओ.एम.आर. शीट्स का मूल्यांकन आयोग व्दारा चयनित Service Provider व्दारा किया जाता है ।

5/ लिखित परीक्षा का परिणाम मेरिट के साथ रोल नम्बरवार प्रकाशित किया जाता है ।

6/ लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के लिये चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण एक वरिष्ठ उप–सचिव के नियंत्रण में चयन शाखा व्दारा किया जाता है। चयन शाखा परीक्षा शाखा से स्वतंत्र है ।

7/ साक्षात्कार के लिये विशेषज्ञों का चयन स्वयं अध्यक्ष लोक सेवा आयोग व्दारा किया जाता है, जिसकी जानकारी उनके अलावा साक्षात्कार के दिन तक किसी अन्य अधिकारी या शाखाओं को नहीं होती है ।

8/ साक्षात्कार चयन बोर्ड का गठन साक्षात्कार के दिन ही प्रातः होता है । किस बोर्ड में कौन अभ्यर्थी उपस्थित होगा, इसका निर्धारण अध्यक्ष लोक सेवा आयोग व्दारा साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार के पूर्व किया जाता है ।

9/ साक्षात्कार बोर्ड को अभ्यर्थी व्दारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी नहीं होती है ।

10/ साक्षात्कार के उपरांत चयन शाखा व्दारा परिणाम बनाने वाले दिन ही परीक्षा शाखा से सफल अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों की जानकारी प्राप्त की जाती है एवं साक्षात्कार के अंकों में उन्हें जोड़कर चयन सूची तैयार होती है ।

इस तरह स्पष्ट है कि आयोग व्दारा चयन की प्रणाली चरणबद्ध, पारदर्शी, स्वच्छ एवं मानक है। किसी एक अधिकारी या कर्मचारी व्दारा इस प्रणाली को विफल कर किसी अभ्यर्थी को लाभ पहुँचाने की व्यव्हारिक संभावना नहीं है ।

अतः यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह लोक सेवा आयोग की परीक्षा में किसी व्यक्ति को सफल करा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के बहकावें में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी आयोग को उपलब्ध कराऍं। ऐसे व्यक्ति जिसके व्दारा आयोग की परीक्षा अपवित्र करने का प्रयास सिद्ध होता है तब उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी । इस संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा ।

( मनोहर दुबे )
सचिव